कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

Phone No. : 06541-253240, Email: dfo-chatranorth@gov.in, dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :– 2264 / दिनांक :– 02/08/ 2019

सेवा में,

श्री प्रवीण राम,
वरीय प्रबंधक,
ट्रांसमिशन प्रमंडल
झारखण्ड उर्जा संचरण लिमिटेड, हजारीबाग ।

विषय :– **चतरा जिला अंतर्गत् इटखोरी से चतरा तक** 132/K.V.D.C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 55.2217 हे0 (चतरा उत्तरी– 1.538 हे0 एवं चतरा दक्षिणी– 53.679 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 401 दिनांक 06.07.2019

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपने अपने पत्राक 401 दिनांक 06.07.2019 द्वारा उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव आठ प्रतियों में एवं ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/JH/TRANS/40120/2019 की हार्ड कॉपी इस प्रमंडल में समर्पित किये है। आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की जाँच की गयी, जिसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :–

(1) पार्ट–1B के कंडिका B-1 में List of proposal Submitted in part के कॉलम में Nil अंकित किया गया है, जबकि चतरा जिला के मौजा– डाढा में भारत सरकार द्वारा 132/K.V ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। कृपया पूर्ण विवरणी अंकित किया जाय। उसके अतिरिक्त कोई और मामला है तो उसे भी अंकित किया जाए।

(2) Online प्रस्ताव समर्पित करने हेतु श्री प्रवीण राम, वरीय प्रबंधक को प्राधिकृत किया गया है किन्तु नाम, पदनाम, सरकारी मोबाईल नं0, पी0एन0टी0 नं0, सरकारी ई–मेल आईडी, सरकारी फैक्स नं0 तथा पत्राचार का पता इत्यादि अंकित नहीं किया गया है। कृपया पूर्ण विवरण अंकित कर समर्पित किया जाए।

(3) उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में प्रभावित गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत् अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, कृपया अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।

(4) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्गत् प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संलग्न नही है, कृपया संलग्न किया जाए।

(5) प्रस्ताव के भूमि विवरणी में length of line परिमाप मीटर अथवा फीट में है, स्पष्ट नही है।

(6) प्रस्ताव में भूमि विवरणी सारांश संलग्न नहीं है, कृपया सारांश अंकित किया जाए।

(7) समर्पित प्रस्ताव के साथ Geo-reference map in shape file संलग्न नहीं है, कृपया संलग्न किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर बिन्दुवार प्रतिवेदन समर्पित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। उपरोक्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण करने में कठिनाई होती है, तो प्रमंडलीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

आपका विश्वासी
02.8.19
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

02/08/19